न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 85/2017/अपील

श्रीमती सुनिता माथुर पत्नी श्री जितेन्द्र माथुर निवासी रायजी के मंदिर के पास, पालवास रोड़ सीकर जिला सीकर (राज.) **अपीलान्ट**

बनाम

1 बाल विकास परियोजना अधिकारी सीकर शहर

2 श्रीमती कमला देवी पत्नी योगेन्द्रपाल हाल कार्यकर्ता वार्ड नं. 2–1 सीकर शहर प्रथम सीकर (राज.) **रेस्पोडेन्टस**

अपील विरूद्व आदेश क्रमांक 291–296 दिनांक 26.07.2017 जिसके द्वारा विपक्षी को वार्ड सं. 2–1 सीकर शहर प्रथम में कार्यकर्ता के पद पर नियम 2(A)(i) की अवहेलना करते हुए नियुक्ति दी गई है को निरस्त किये जाने बाबत

वकील अपीलांट श्री महेन्द्र कुमार माथुर **दिनांकः–10.01.2018**

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीनी वार्ड सं. 4 पुराना जो कि वर्तमान
में वार्ड सं. 15 नया है की स्थायी निवासीनी है। अपीलार्थी के वार्ड की सीमा समाप्त होने
के बाद वार्ड सं. 2–1 प्रारम्भ होता है जो कि वर्तमान में वार्ड सं. 12 नया है अपीलार्थीनी
का आदेश क्रमांक 41–58 दिनांक 30.04.2014 के द्वारा वार्ड सं. 2–1 सीकर शहर प्रथम में
आशा सहयोगिनी के पद पर चयन किया गया था। अपीलार्थीनी बी.ए. शिक्षा शास्त्री बी.एड
उत्तीर्ण है। गत तीन वर्षों से लगातार वार्ड सं. 2–1 सीकर शहर प्रथम में आशा सहयोगिनी
के पद पर कार्यरत है तथा अपीलार्थीनी का कार्य भी संतोषजनक है। तीन वर्षों मे
अपीलार्थीनी के विरूद्व किसी भी प्रकार की कोई शिकायत विभाग में नहीं हुई है तथा ना ही
उक्त अवधी में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही अपीलार्थीनी द्वारा की गई है। माह
फरवरी 2017 में अपीलार्थीनी के केन्द्र वार्ड सं. 2–1 में कार्यरत कार्यकर्ता श्रीमती जैतू
बानो के रिटायर हो जाने के बाद उक्त पद दिनांक 26.07.2017 तक लगाातार खाली रह
उक्त अवधि में अपीलार्थीनी के केन्द्र में कार्यकर्ता द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यकलाप
को अपीलार्थीनी द्वारा ही पूर्ण किया गया तथा कार्यकर्ताओं द्वारा लिया जाने वाला अनिवा
प्रशिक्षण शाला पूर्व शिक्षा का प्रशिक्षण लेने हेतु भी अपीलार्थीनी को कार्यकर्ता के अभाव
चयनित कर शाला पूर्व शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया जो कि दिनांक 22.03.2017 से 24.0
2017 तक प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होकर अपीलार्थीनी द्वारा लिया गया। आवेदन प
प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद तक किसी भी अन्य व्यक्ति ने वार्ड
2–1 सीकर शहर प्रथम में अपीलार्थीनी के अलावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया थ

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

वार्ड सं. 2–1 के निकटतम वार्ड की निवासी है। इससे पूर्णतः सिद्व होता है कि चयन हेतु वांछित पात्रता के नियम 2(A)(i) का पुर्णतः उल्लघंन हुआ है तथा भेदभाव पूर्ण तरीके से किस्मी का चयन किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीनी स्वीकार फरमायी जाकर आदेश दिनांक 26.07.2017 क्रमांक 291–296 निरस्त फरमाकर अपीलार्थीनी के कार्यकर्ता के पद हेतु प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर अपीलार्थीनी को वार्ड सं. 2–1 में कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति दये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता अपीलार्थीनी एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थीनी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अपील स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया एवं वार्ड संख्या 2–1 में कार्यकर्ता के पद पर अप्रार्थी संख्या 2 की नियुक्ति विभाग द्वारा विभागीय परिपत्र के अनुसार चयन प्रक्रिया अपनायी जाकर चयन किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.11.2016 का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण शहरी क्षेत्र का होने के कारण परिपत्र के पृष्ठ संख्या 3 में शहरी क्षेत्र में चयन प्रकिया निम्नानुसार हैः–

(i) शहरी क्षेत्र में चयन का कार्य निम्न समिति द्वारा सम्पन्न किया जावेगाः–

1 उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2 सम्बंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य सचिव
3 सम्बंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी (निगम/परिषद/नगर पालिका) अथवा उनके द्वारा नामित कोई एक अधिकारी	सदस्य
4 सम्बंधित वार्ड पार्षद	सदस्य
5 सम्बंधित महिला पर्यवेक्षक	सदस्य

शहरी क्षेत्रों से सम्बंधित बाल विकास परियोजना में मानदेय सेवा कर्मियों के लिए चयन कार्य हेतु सम्बंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा शहरी क्षेत्रों में रिक्तियों का निर्धारण करने के लिए तत्समय रिक्त पदों के साथ आगामी तीन माह में मानदेय सेवा से सेवानिवृत के फलस्वरूप होने वाले रिक्त स्थानों को भी शामिल किया जाकर केन्द्रवार रिक्तियों का निर्धारण किया जाएगा एवं उक्त रिक्तियों की सूचना 25 दिसम्बर, 25 मार्च, 25 जून एवं 25 अगस्त तक उप निदेशक कार्यालय में विज्ञप्ति जारी करने हेतु प्रेषित की जायेगी। जिले में केन्द्रवार रिक्तियों को भरने हेतु उप निदेशक द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारीयों द्वारा प्रेषित संकलित सूचना के अनुसार जनवरी, अप्रेल, जुलाई व सितम्बर माह की 01 तारीख को ग्रामीण क्षेत्र की रिक्तियों की विज्ञप्ति के साथ शामिल करते हुए एक स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी की जायेगी। मानदेय पदो के लिए निर्धारित योग्यता का विवरण अंकित करते हुए यह स्पष्ट किया जायेगा कि आवेदन पत्र सीडीपीओ कार्यालय में सम्बंधित माह की 15 तारीख तक मय आवश्यक दस्तावेज जमा कराये जा सकते है। विज्ञप्ति में सलंग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख अनिवार्यतः किया जाए। साथ ही विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया जाए कि एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें संशोधन अथवा अनुलग्नक सलंग्न किये जाने की अनुमति नहीं होगी। विज्ञप्ति में सम्बंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों की ई–मेल आई.डी. भी दी जायेगी। जारी की गई विज्ञप्ति की एक प्रति सम्बंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी (निगम/परिषद/नगर पालिका) एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को भी दी जायेगी। उक्त विज्ञप्ति की प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा नगर निगम/नगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया जाना आवश्यक होगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को इस परिपत्र के साथ सलंग्न चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र "परिशिष्ट–बी" के अनुसार दस्तावेजों की प्राथमिक जांच उपरांत मापदण्ड अनुसार अंक देकर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में अधिकतम आयु वाली महिला को वरीयता सूची में उच्च स्थान दिया जाऐगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उक्त वरीयता सूची एवं आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 15 दिवस में चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा, जिसके आधार पर चयन समिति द्वारा स्थानीयता की पुष्टि उपरान्त प्राप्त वरीयता सूची का अनुमोदन किया जायेगा एवं वरीयता सूची में से विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप योग्यतम महिला के चयन का अनुमोदन किया जाएगा। चयन समिति की अनुशंसा **"परिशिष्ट स"** में भरकर बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय को चयन की सूचना जारी करने हेतु प्रेषित की जायेगीं।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस, अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संयुक्त शासन सचिव समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.11.2016 का अवलोकन किया गया। संयुक्त शासन सचिव समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.11.2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार प्रथम दृष्ट्या जाहीर होता है कि मानदेय सेवा कर्मियों के लिए चयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 15 दिवस में चयन समिति के समक्ष रखा जाकर उसके आधार पर चयन समिति द्वारा विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप योग्यतम महिला के चयन का अनुमोदन किया जाएगा। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर उसमें चयन समिति के गठन के सम्बंध में कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार बाल विकास परियोजना अधिकारी सीकर (शहर) द्वारा वार्ड नं. 2–1 में कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु चयन प्रकिया में चयन समिति का गठन किये बिना आदेश दिनांक 26.07.2017 जारी कर दिया गया, जो कि एक टाईप शुदा फॉर्मेट में लिखा जाकर जारी किया हुआ है। बाल विकास परियोजना अधिकारी सीकर (शहर) के आदेश दिनांक 26.07.2017 के द्वारा शहरी क्षेत्र के वार्ड नं. 2–1 हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के लिये जारी किया हुआ है जबकि उक्त आदेश के पृथम पैरा में लिखा गया है कि–"ग्राम में आयोजित ग्रामसभा की अनुशंषा"। इस प्रकार बाल विकास परियोजना अधिकारी सीकर (शहर) द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.07.2017 विभागीय आदेश/परिपत्र की अनदेखी कर किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर बाल विकास परियोजना अधिकारी सीकर (शहर) द्वारा जारी आदेश कमांक 290 दिनाक 26.07.2017 बाबत आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यकर्ता की नियुक्ति इसी स्तर पर खारिज किया जाता है और निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त शासन सचिव समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.11.2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों एवं वर्तमान प्रचलित अन्य विभागीय दिशा निर्देशों/परिपत्रों/आदेशो के अनुरूप पुनः विधि सम्मत प्रकिया अपनाकर नियमानुसार रिक्त पद पर उपयुक्त एवं पात्र अभ्यर्थी के चयन का आदेश पारित करें। उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, सीकर को भी आदेश की प्रति वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/1/18

(जय प्रकाश)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official